न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 41/2019 (राजसमन्द डिक्री)

1. गिरधारीसिंह पिता मनोहरसिंह जी राजपूत, निवासी गोवल, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. देवीसिंह पिता मनोहरसिंह जी राजपूत, निवासी गोवल, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. भारतसिंह पिता मनोहरसिंह जी राजपूत, निवासी गोवल, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. दौलतसिंह पिता चमनसिंह जी राजपूत, निवासी गोवल, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. जोधा पिता गल्ला जी बलाई, निवासी गोवल, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. मांगीलाल पिता नन्दराम जी नगारची, निवासी गोवल, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
7. शम्भूसिंह पिता गुलाबसिंह जी राजपूत, निवासी गोवल, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. नारू पिता हीरा जी गुर्जर, निवासी गोवल, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राज्य जरिये जिला कलक्टर, राजसमन्द (राज.)
3. राज्य जरिये तहसीलदार आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, आमेट
दिनांक 22.10.2019, प्र.सं. 9/2017

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री जी.एस. मेहता अभिभाषक रेस्पो.सं. 1

3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक 12–03–2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट अपीलान्टगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर मौजा गोवन स्थित आराजी नंबर 605 रकबा 0.1300 हैक्टर भूमि की खातेदारी चाही जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि विवादित भूमि बिलानाम रास्ता दर्ज हो से आप न्यायालय का श्रवणाधिकार नहीं है। अतः वाद मात्र इसी बिन्दु पर खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 22–10–2019 से प्रतिवादी संख्या 1 का आवेदन स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 05–11–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री जी. एस. मेहता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट ने जवाबदावा पेश नहीं कर उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने वाद को देखे बिना उक्त आवेदन पर बहस सुनकर वाद खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के

सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि अनुसार होना बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि राजस्व अभिलेखों में विवादित आराजी नंबर 605 रकबा 0.1300 हैक्टर की किस्म रास्ता दर्ज है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन स्वीकार करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जिसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–10–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 12–03–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

गिरधारीसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत
निवासी गोवल, तहसील आमेट,
जिला राजसमन्द व अन्य

बनाम

नारू पिता हीरा जी गुर्जर
निवासी गोवल, तह. आमेट
जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं.....**41 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **आमेट ....** मुकाम.....मुवर्खे.....**....22**.....माह.....**10**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**12**....माह.....**03**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मनीष शर्मा**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री जी. एस. मेहता**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–10–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**12**.....माह.....**03**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.06.23 12:43:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: